

कपास का उत्पादन लाभकारी नहीं – एक छोटे कपास उत्पादक की पीड़ा

इस गर्मी के दिन आसपास सभी जगह रेत का गुबार है। यद्यपि रेत का यह गुबार काफी छोटा है। पिछले कुछ वर्षों में यह बड़ा है क्योंकि रेत के गुबार की गहनता में कमी आई है। भूमि के बड़े भाग पर स्वतंत्रता के पश्चात् जुताई और सिंचाई की जा रही है जबकि प्राकृतिक संसाधनों का नाश हो रहा है।

वर्तमान पीढ़ी के एक किसान हैं, गुरदीप सिंह। हरित क्रांति के दौरान अधिक उत्पादन करने वालों में से वे एक हैं। वे बचपन से ही गेहूँ और कपास के बीच केवल एक फसल ही उगाते थे।

कपास की किस्म अब बदलकर एच.एल.एस. से जे-34 हो चुकी है और अब भियानी 61 है। पहले कपास का उत्पादन कम होता था और गुरदीप केवल 50 कि.ग्रा. यूरिया की बोरी में से आधा ही उपयोग करते थे। आज उन्हें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए यूरिया की दो और डीएपी की एक बोरी का उपयोग करना पड़ता है। गुरदीप जानते हैं कि इनके उपयोग से भूमि के प्राकृतिक गुण नष्ट हो रहे हैं।

दूषित जलवायु के अतिरिक्त वे भूमि के नाश में रसायनों के अधिक उपयोग को भी दोषी मानते हैं। उन्होंने याद है कि उनके पूर्वज प्रत्येक वर्ष भूमि को एक मौसम के लिए खाली छोड़ देते थे ताकि भूमि उपजाऊ बनी रहे। आज के खस्ता हाल में वे दो वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते, अतः उनके पास वर्ष में दो फसलों उगाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। वे अपनी भूमि को उपजाऊ बने रहने के लिए खाली नहीं छोड़ सकते न ही इसे रेस्ट दे सकते हैं।

गुरदीप सिंह 50 वर्ष के हैं और अपने माता पिता के पांच बच्चों में से एक हैं। अतः उन्हें अपने पैतृक दस एकड़ की भूमि में से दो एकड़ का भाग ही मिल पाया है। गुरदीप अशिक्षित हैं किंतु अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया। उनके तीन बच्चे हैं – बिन्दर, जो दूसरी तक पढ़ा है, जग्गा जो 12वीं पास है और जोरा जो 8वीं पास है। दो बड़े बच्चों को खेत में काम करने के कारण अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी। सबसे छोटे ने सोचा कि विद्यालय की पढ़ाई से उसका गुजारा नहीं होगा और उसने गांव में इलैक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण लिया।

यह छोटे किसान की दयनीय स्थिति है। वे तब तक अपना गुजारा नहीं कर सकते जब तक अन्य स्रोतों से आय न हो। मूल प्रश्न यह है कि उन लोगों को नौकरी का अवसर दिया जाना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से सीधे कृषि पर गांव में निर्भर नहीं हैं। इस विषय पर सरकार कतई गंभीर नहीं है।

भारतीय वर्गीकरण के अनुसार गुरदीप को छोटा किसान माना जा सकता है और वह किसानों के 60 प्रतिशत बहुलता का एक भाग है। छोटे भूमि के टुकड़ों के कारण उनकी हालत दयनीय है किंतु वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें नहर का पानी मिल रहा है जबकि भारत के शेष 60 प्रतिशत किसान वर्षा पर निर्भर हैं। वहां पर ट्यूबवैल का पानी भी नहीं है। भूमिगत जल खारा है। पक्की नहर 30 वर्ष पहले बनाई गई थी किंतु तब से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। इससे खेतों को नियमित जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। बाढ़ी के जल के घंटे उतने ही हैं किंतु यह जल केवल 2.25 एकड़ भूमि को ही सिंचित करता है जबकि पहले 3 एकड़ को करता था।

प्रत्येक 1 एकड़ की भूमि के लिए सप्ताह में एक बार 15 मिनट के लिए ही जल आपूर्ति की जाती है। जल की आपूर्ति में कमी आई है क्योंकि आधारभूत ढांचे का रखरखाव ठीक नहीं है। गुरदीप को नहर के पानी की आपूर्ति के संबंध में ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकारी कार्मिकों के साथ केवल जल विवाद के लिए ही उन्हें वार्तालाप करना पड़ता है अन्यथा वे कभी भी सरकारी अधिकारी से नहीं मिले हैं जैसे पटवारी या तहसीलदार।

दो वर्ष पहले गुरदीप ने केवल एक बार हाइब्रिड बीटी कपास उगाई थी किंतु अधिक पानी मांगने के कारण उन्होंने इसे त्याग दिया जबकि कीटनाशकों की लागत में रु. 3,000/- से रु. 4,000/- तक की कमी आयी है। अनियमित जल आपूर्ति के कारण उन्होंने बीटी कपास उगाना छोड़ दिया। वे अपनी कठिनाईयों को और नहीं बढ़ा सकते थे।

गुरदीप को देखकर विदर्भ के किसानों की दयनीय स्थिति याद आती है। यद्यपि दो फसलों के बिक्री मूल्य में अधिक अंतर नहीं है। पिछले वर्ष उन्होंने रु. 4,900/- प्रति क्विंटल कपास बेची थी और इस वर्ष उन्हें केवल रु. 4,200/- प्रति क्विंटल ही मिला। उनके अन्य कई संकट भी हैं। गुरदीप अपनी फसल आढ़ती के पास ले जाते हैं जो रु. 100/- पर रु. 2.50/- का कमीशन फसल की बिक्री पर लेता है। यही आढ़ती किसान को 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर पैसा भी उधार देता है। जब किसान अपनी फसल उसकी दुकान पर बेचता है तो आढ़ती अपना ऋण, ब्याज और कमीशन काटकर बकाया भुगतान करता है। यह कृषि ऋण की समस्या गंभीर है क्योंकि यह छोटे किसानों को उपलब्ध नहीं है।

यह स्थिति और भी खराब हो जाती है जब किसान को कीटनाशक या उर्वरक खरीदना होता है तो वही आढ़ती उसे एक दुकानदार के पास भेज देता है जो उसे परामर्श देता है कि क्या उपयोग करना है। यह छोटे किसान के लिए अभिशाप है कि उसे सही सलाह नहीं मिल पाती और सूदखोर तथा दुकानदार दोनों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। किसी भी स्थिति में ये दोनों खतरनाक हैं। कोई भी कृषि अधिकारी आज तक गुरदीप के परिवार को सलाह देने नहीं पहुंचा क्योंकि इस देश में सेवा प्रदान करने का कार्य ठप है। उनकी भूमि का कभी परीक्षण नहीं किया गया। सरकारी मशीनरी का नामोनिशान नहीं है। इनसे समस्याएं बढ़ती हैं जिसके लिए सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं।

सरकार से वे क्या चाहते हैं, इसके उत्तर में गुरदीप ने कहा कि बेहतर गुणवत्ता के उपकरण और बेहतर मूल्य। उनका मानना है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सरकारी मशीनरी से उनका विश्वास उठ चुका है। किंतु वे महसूस नहीं कर पाते कि सरकार ही उनकी इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है।

गुरदीप के पास भैंसे और दो गायें हैं पहले वे अपने पशुओं को बहुत प्यार करते थे। जब यह बूढ़ी होकर मरी तो परिवार ने नई नहीं खरीदी क्योंकि बड़े पशु के लिए अधिक चारे की आवश्यकता होती है, जो अब बहुत महंगा हो चुका है। गुरदीप चारे के लिए बरसीम और ज्वार उगाता था क्योंकि वह बचपन से ही खेती पर ही कार्य करता आ रहा है।

वह सौभाग्यशाली और समझदार है कि उसने एक ट्रैक्टर नहीं खरीदा है। मशीनरी खरीदना छोटे किसान के लिए लाभकारी नहीं है क्योंकि वर्ष में केवल 15 दिन ही इन उपकरणों का खेती के लिए उपयोग होता है। किसी प्रकार की भी कृषि मशीनरी लेना छोटे किसान के लिए सफेद हाथी पालना जैसा है। सरकार को यह करना चाहिए कि जिन नौजवानों के पास भूमि नहीं है, उनके लिए नौकरी का प्रबंध किया जाए या उन्हें मशीनरी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे मशीनरी खरीदकर अन्य किसानों को इसे किराए पर दे सकें। इस उपाय से न केवल गांव में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे बल्कि किसानों को भी बिना निवेश किए उपयोग हेतु कृषि मशीनरी मिल जाएगी। इस साधारण उपाय और विचार से भी सरकारी अधिकारी बच निकलते हैं जबकि वे किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले होते हैं। अतः प्रशासनिक सेवा हेतु अधिकारियों को तैयार करने की पद्धति की समीक्षा की आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के निम्न स्तर के लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को समझा जाए और उनका समाधान करके देश की उन्नति और समृद्धि को बनाए रखा जाए।

गुरदीप खुश हैं कि बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है हालांकि यह महंगी हो चुकी है किंतु फिर भी घर में इसके कई उपयोग हैं। गांव भी पहले की तुलना में अधिक साफ हुए हैं। उन्हें पंचायत/सरपंच के चुनावों पर चिंता अवश्य है

क्योंकि ये चुनाव गांव में असामंजस्य फैलाते हैं। निर्वाचित भी और इसके लिए चुनाव में भाग लेने वाले दोनों ही लोगों को अगले चुनाव में अपनी अपनी जीत के लिए उकसाते हैं। यह देहात को सक्षम बनाने के लिए वास्तविक सामाजिक परिणाम हैं। गुरदीप का मानना है कि इस प्रकार की फूट डालने वाली बातें रूक सकती हैं यदि गांव स्तर पर कोई चुनाव न कराए जाएं।

उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सौर कुकर के बारे में सुना है। उनका उत्तर नहीं था। उन्होंने पूछा, क्या यह गैस पर या किस पर चलता है। इससे पता चलता है कि सरकार की सौर उर्जा जैसी पुनःनवीकरण जैसी नीतियों का प्रचार कहां तक है और सरकार सौर उर्जा क्षमता की प्राप्ति के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगी। कोई भी निम्न वर्ग के महत्वपूर्ण हिस्से के जीवन में सुधार लाने के लिए कड़े प्रयास करने पर ध्यान नहीं देता है तो नीतियों का लागूकरण कैसे होगा।

निर्धन शिक्षित किसान के पुत्र भी वास्तविकताओं से अनभिज्ञ हैं। गुरदीप के बेटे जग्गा ने अपनी साथी किसानों से सुन-सुन कर सब्जी उगाने का कार्य शुरू किया। वह महसूस करता है कि सब्जी उगाना कपास की खेती से अधिक लाभकारी है। वह भूमि के आधे एकड़ भाग पर घीया उगाता है और इसे रु. 35,000/- में बेचता है, जबकि कपास केवल रु. 15,000/- की ही बिकेगी। अधिक सब्जियां उगाने के लिए उसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। उस जल भंडारण हेतु टैंक और ड्रिप सिंचाई पद्धति की आवश्यकता है। ड्रिप सिंचाई का कार्य जैन सिंचाई द्वारा देखा जा रहा है, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, किंतु इसके लिए उसे बिजली के कनेक्शन की जरूरत है और बिजली के लिए भुगतान भी करना होगा।

यदि मौसम देवता मेहरबान हों और सब्जियां अच्छी उग जाती हैं तो जग्गे को इनकी बिक्री में कई समस्याएं आती हैं क्योंकि देश में व्याप्त कई रूकावटें हैं। ट्रकों की यूनियन को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जो किसानों से परिवहन के लिए अधिक किराया वसूलते हैं। यह भी बड़ी रूकावट है।

जग्गा किसान को विरासत में कई समस्याएं भूमि से संबंधित मिली हैं, जहां पर यह माना जाता है कि किसान ही एक अरब से अधिक लोगों की भूख मिटाता है।

गुरदीप पंचायत/सरपंच के चुनाव नहीं चाहता है क्योंकि इनसे पूरे गांव में असामंजस्य फैला है, यह असामंजस्य निर्वाचित और चुनाव में भाग लेने वाले लोग गांववासियों को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाते हैं ताकि वे चुनाव जीत सकें।

जैविक वृक्ष के नीचे मेरे साथ कौन रहना चाहेगा.....

मैं तपती दोपहर और उमस भरे मौसम में हरियाणा के एक गांव, गिल्लनखेड़ा में पहुँचा। वर्षा में विलंब हुआ है किंतु उम्मीद है कि वर्षा होगी। मैंने वहाँ पर एक नीम के पेड़ के नीचे जितेंद्र सिंह को आराम करते देखा। वहाँ चारपाई के आस-पास पानी छिड़का हुआ था जिस कारण वहाँ कुछ ठंडक थी। देहात में छाया से ही आराम मिलता है, नहीं तो वहाँ पर तपती दोपहर में आसमान ही छत होती है।

अब जितेंद्र किसी भी प्रकार से परंपरावादी नहीं है। जहाँ पर 90 प्रतिशत लोगों ने खेती छोड़कर किसी अन्य विकल्प को चुना वहीं पर जितेंद्र ने दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में अपने को नामांकित किया था किंतु उन्होंने साहस करके वकील का कार्य छोड़कर अपने सपने को सच करने की ठानी कि वे एक जैविक कारोबारी बनेंगे।

हमने स्टील के गिलासों में मीठी चाय के धूँट भरते हुए प्रश्न पूछने आरंभ किए। उस मौसम में हम केवल चाय से ही अपनी प्यास बुझा सकते थे न कि पानी पी-पी कर।

दिल्ली से लौटने के बाद जितेंद्र ने अपने आस पास के क्षेत्रों में घुमाई की और लोगों के विचार जाने। उन्होंने पाया कि पारंपरिक किसान निराश हैं जो चावल-गेहूँ की फसल ही उगा रहे थे, जिससे जल और भूमि के प्राकृतिक तत्व नष्ट हो रहे थे। उगाए जाने वाला अनाज न केवल अस्वास्थ्यकर था बल्कि यह सेहत के लिए भी जोखिमपूर्ण था।

जितेंद्र ने सदा सहायता करने वाले ग्रेवाल बंधुओं – सरदार रिछपाल ग्रेवाल और सरदार हरपाल ग्रेवाल से सलाह ली, जो पहले से ही जैविक पद्धति अपना रहे थे। जितेंद्र ने अध्ययन भी आरंभ कर दिया जिसे वे पहले से ही पसंद करते थे। पढ़े गए लेखों में से एक लेख ऐसा आया जिसमें लिखा था कि 'वहाँ प्रतिबंधित किंतु यहाँ उपयोगी' जो ट्रिब्यून समाचार पत्र में आया था। तब उन्होंने महसूस किया कि जिस डीडीटी और फैनवलरेट को अमेरिका में वर्ष 1990 के आरंभ में प्रतिबंधित कर दिया गया था उसे भारत में वर्ष 1990 के अंत तक भी बड़ी मात्रा में उपयोग में लाया जा रहा है।

एक जैविक कारोबार आरंभ करने के लिए उन्हें अपनी भूमि को जैविक के रूप में सत्यापित कराने की आवश्यकता थी। सत्यापन पद्धति पहले भी और अभी भी महंगी और बाधाओं से भरी है। सत्यापित करने वाली एजेंसी खेत का इतिहास जैसे, कितनी फसलें, कितना कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक का अतीत में और अब तक उपयोग किया गया है।

सबसे पहले जितेंद्र ने अपनी भूमि और पानी की जांच कराई और उन्हें कुछ करने और न करने की सूची दी गई। उन्होंने अपने खेत का पूरा रिकार्ड रखा और 3 वर्ष के बाद उनके खेत का जैविक के रूप में सत्यापन किया गया। सत्यापन को कुछ वर्षों के बाद नवीकरण कराने की आवश्यकता होती है। उनके खेतों के उत्पाद केवल मौखिक रूप से ही बिक जाते थे। उदाहरण के लिए उनके डेरी उत्पाद सत्यापित नहीं थे लेकिन उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर ही लोग इन उत्पादों को खरीदते हैं। जैविक सत्यापन उत्पादों का निर्यात या उन लोगों को बेचा जाता है जो इनकी गुणवत्ता को समझते हैं। आज भारत में कई सत्यापन एजेंसियां हैं, जैसे इंडोसर्टिन इरनाकुल्लम।

जितेंद्र का अनुभव काफी रूचिकर है। प्रथम तो उन्होंने महसूस किया कि उनका उत्पादन कम हो जाएगा जब पारंपरिक खेती से जैविक खेती अपनाएंगे। जैविक खेती को लाभकारी बनाने में 5 से 6 वर्ष लग गए। रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक खाद धीरे-धीरे उपयोगी साबित होती है। पहले वर्ष में गेहूँ का उत्पादन 60 से 70 प्रतिशत के बीच

कम हुआ जबकि पारंपरिक खेती में इतना ही अधिक होता। इस विषय पर अध्ययन पर दृढ़ रहने के कारण जितेंद्र ने इस कार्य को बिना झिझक जारी रखा।

आज, उनके खेत पर फसलों की पद्धति चावल-गेहूँ से बदलकर मिश्रित खेती पद्धति हो चुकी है, जिसमें डेरी उत्पाद, बागवानी, सब्जी, मछली और कृषि वन उत्पाद शामिल हैं। जितेंद्र का मानना है कि उनके डेरी उत्पाद ही उनका प्रमुख लाभकारी यूनिट है जो नियमित आय और रोजगार उपलब्ध कराएगा। दूध बेच दिया जाता है और गोबर को कंपोस्टिंग और बायोगैस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। विशेष गेहूँ को उपभोक्ता को प्रसंसाधित करने के बाद बेच दिया जाता है और बचे खुचे अनाज और भूसे को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है।

हम खेतों में से चलते हुए उस भूमि पर पहुंचे जहां पर जितेंद्र ने पेड़ उगा रखे थे ताकि जैविक खेती को व्यावहारिक और लाभकारी बनाया जा सके। विविधीकरण की इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि जैविक उत्पादों से लाभ मिलना निश्चित नहीं था। बहुत से साथी जैविक किसानों को अपनी पारंपरिक खेती पर लौटना पड़ा किंतु जितेंद्र जैविक खेती के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने पोपलर, युक्लिप्टस, बर्माटैक की खेतों में बवाई की और कृषि वन परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिए साहिवाल नस्ल बनानी भी आरंभ की, यह एक देसी पशु होता है। पहले दो वर्षों में वन की भूमि को हरे चारे के उत्पादन हेतु उपयोग किया गया किंतु अब यह कृषि पशुओं को चराने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी आरंभिक प्रतीक्षा अवधि कम से कम 7 वर्ष है। उनके खेत पर पहली वाणिज्यिक लकड़ी अक्टूबर 2013 में आने की उम्मीद है।

धीरे-धीरे जैविक कृषि का लाभ इस जागरूक किसान को मिलना आरंभ हो गया। जैविक खेती के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है जबकि पारंपरिक खेती के लिए अधिक पानी की, क्योंकि जैविक खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन अधिक होता है। फिर भी मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं जैविक कृषि से पूर्णतः संतुष्ट हूँ लेकिन निश्चित रूप से मैं बारी-बारी से लगभग 66 फसलों, हरी खाद और घास पात का आनंद ले रहा हूँ। इन खादों, कंपोस्ट, घास पात और कवर क्राप्स के माध्यम से मिट्टी के जैविक तत्व बने रहते हैं। जैविक खेती की गेहूँ और धान की किस्में भी कम पानी मांगती हैं जबकि पारंपरिक किसानों द्वारा उगाई जाने वाली पीबीडब्ल्यू-343 की किस्म अधिक पानी मांगती है। पीआर-14 धान की किस्म की तुलना में बासमती चावल के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है।

जैविक किसानों को उच्च गुणवत्ता के जैविक बीज उपलब्ध न होना मुख्य समस्या है और खेतों में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है और कीड़ों को नियंत्रित करना एक अन्य संकट है। इनके अतिरिक्त पैकिंग और भंडारण की भी समस्या है और सबसे बड़ी चुनौती इन जैविक उत्पादों के विपणन की है। सरकार इन उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य नहीं देती। बहुत बार जितेंद्र को अपने उत्पादन बिना किसी लाभ के ही बेचने पड़ते हैं। वह अपने जैविक उत्पादों की बिक्री सिरसा और फतेहाबाद के आस पास के नगरों में उपभोक्ताओं को करते हैं।

जितेंद्र ने मुझे बताया कि चावल-गेहूँ की जैविक कृषि पद्धति और पारंपरिक खेती के विस्तृत अध्ययन से प्रतीत होता है कि जैविक खेती का उत्पादन 20 से 30 प्रतिशत कम होता है। किंतु पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक खेती में 20 प्रतिशत अधिक लाभ होता है और जैविक उत्पादों पर 50 प्रतिशत लाभ भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। यह अन्य मामला है कि पारंपरिक और जैविक किसान अपना अस्तित्व बनाए रखने और लाभ कमाने की समस्या का सामना कर रहे हैं। कृषि को एक व्यवसाय के रूप में न तो व्यावहारिक न ही लाभकारी माना जा सकता है क्योंकि खेती की औसत भूमि की मात्रा कम होती जा रही है।

खेती के कार्य में 14 वर्ष के अनुभव के बाद जितेंद्र जैविक कृषि पद्धति और मुद्दों के संबंध में एक चलते फिरते विश्वकोश (एनसाइक्लोपीडिया) हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें इसका कोई खेद नहीं है। लगातार दो घंटे खेत से खेत घूमकर और बहुत से साथी किसानों से मिलकर, मैंने महसूस किया कि धूप ढल रही है और सूर्य अस्त हो रहा है। जितेंद्र की दिनचर्या भी समाप्त हो गई है।

क्या वे पूर्णतः संतुष्ट व्यक्ति हैं?

उनका उत्तर था 'मैं नहीं कह सकता कि मैं जैविक कृषि से पूर्णतः संतुष्ट हूँ किंतु मैं जो भी करता हूँ उसका पूरा आनंद ले रहा हूँ। यह एक ऐसी संतुष्टि है जो भारत के अधिकतम किसानों में नहीं मिलेगी।

